

उपरखण्ड अधिकारी का नाम राजा खेडा

प्रीति बनाम रामवीर

किस मुकदमा दावा नं. ७९/२० सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6/5/20	दावा वादीया दफतर है बाद जॉय पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीमव को जरूरी समन तलब किया जावे पत्रावली दिनांक 26/5/20 को चेका हो	
14-8-20	कोरोना लॉक डाउन के शहर का रजिस्ट्रार रईम से पत्रावली डाक के द्वारा वादिये को पत्रावली पत्रावली में लक्ष्य है पत्रावली प्रमाणित कर दिनांक 24/9/20 को चेका हो	
3/9/20	वादिया के शर्पना पत्र पर पत्रावली आज इफर से पेश हुई। वकील वादिये को वादिये के शर्पना पत्र में फट विवेकन सिपाई कि वह दावा अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं इमतिर दावा इसी स्टेज पर बारीक। किन्तु पत्रावली मोरखिक रूप से बुझने पर भी भी उसके द्वारा शर्पना पत्र की पुराई की। आता दावा वादिये, वादिये की शर्पना पर इसी स्टेज पर बारीक किन्तु जाता है। पत्रावली के शर्पना सुभार होकर बाद तकमील दाखिल होकर हो हुक्म सुनाया गया।	Prati Identified by DS

उपरखण्ड अधिकारी
राजा खेडा धौलपुर (राज.)